

राजकीय महाविद्यालय महम (रोहतक)

(दिशा-निर्देश)

- ❖ महाविद्यालय में पहचान पत्र के बिना प्रवेश निषेध है।
- ❖ कोविड-19 के नियमों का पालन करें।
- ❖ महाविद्यालय की दीवार कूदना गैर कानूनी है।
- ❖ कैन्टिन से खाद्य सामग्री लेकर महाविद्यालय कैम्पस व कक्षा में खाना मना है।
- ❖ बैग व पुस्तक के बिना महाविद्यालय में आना वर्जित है।
- ❖ महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना अपराध है।
- ❖ महाविद्यालय की सम्पत्ति का कोई विद्यार्थी नुकसान करता मिला तो उसकी भरपाई उसको खुद करनी पड़ेगी। और उस पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी।
- ❖ डिग्री, मार्कशीट लेने का समय दोपहर 2.30 बजे से 3.30 बजे तक है। अतः इससे पहले महाविद्यालय में प्रवेश की मनाही है।
- ❖ डिस्टेंस के विद्यार्थी केवल रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को ही महाविद्यालय आएंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी अपने दुपहिया वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थान पर ही खड़ा करें।
- ❖ यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय प्रांगण में अपने साथ असमाजिक तत्वों को लेकर आया तो उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ परीक्षा के दौरान विद्यार्थी पानी की बोतल स्वयं लेकर आएंगे।

संयोजक

डा. नीरज सोलंकी

प्राचार्या

श्रीमति आशा मलिक

